**प्रेषक,**

**जिलाधिकारी**
फतेहपुर

**सेवा में,**

**निदेशक**
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

पत्रांक 946/खनिज/निजी भूमि–टेण्डर/2026–2027 दिनांक 06/06/2026

विषयः–**नदी तल स्थित निजी भूमि, में उपलब्ध उपखनिज यथा बालू, मोरम, बजरी आदि के खनन क्षेत्र को ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से अधिकतम 06 माह की अवधि के लिये खनन परिहार पर व्यवस्थित किये जाने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश–2036/86–2019–57 (सा0)/2017 दिनांक 30.08.2019 के अनुपालन में जनपद फतेहपुर के नदी तल में उपलब्ध उपखनिज यथा बालू/मोरम के खनन क्षेत्र को ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से अधिकतम 06 माह की अवधि के लिये खनन परिहार पर व्यवस्थित किये जाने हेतु ई–टेण्डर आमंत्रण हेतु पत्रांक 945/खनिज/निजी भूमि–टेण्डर/2025–2026 दिनांक 06/06/2026 की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि निविदा आमंत्रण की सूचना को व्यापक प्रचार प्रसार वाले कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशित कराने तथा प्रकाशन के उपरान्त उसकी प्रति खनिज कार्यालय फतेहपुर को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय

Digitally signed by
Nidhi Gupta Vats
Date: 06-06-2026
21:01:17
जिलाधिकारी
फतेहपुर।

**प्रतिलिपिः–** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ।

**जिलाधिकारी**
फतेहपुर।

# कार्यालय जिलाधिकारी, फतेहपुर

(खनन अनुभाग)

पत्रांक 945 / खनिज / टेण्डर / 2026–2027 दिनांक 06/06/2026

## ई–निविदा आमन्त्रण हेतु ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद फतेहपुर के नदी तल स्थित निजी भूमि में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार बालू/मोरम के खनन क्षेत्र को शासनादेश संख्या–2036/86–2019 –57 (सा0)/2017 दिनांक 30.08.2019 मे दिये गये निर्देशानुसार 06 माह की अवधि के लिये ई–टेण्डरिंग के माध्यम से खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने के निमित्त कार्यालय विज्ञप्ति सं0–579 दिनांक 02.04.2026 द्वारा निजी भूमि के एक खनन क्षेत्र को विज्ञापित किया गया था, जिसमें 07 निविदाएं प्राप्त हुईं, एक निविदाकार द्वारा मूल अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये, 05 निविदाकारों द्वारा ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया, मात्र एक निविदाकार के अभिलेख पूर्ण पाये गये। उक्त स्थिति के दृष्टिगत निविदा समिति द्वारा उक्त समस्त निविदाओं को अस्वीकार कर पुनः विज्ञापन किये जाने की संस्तुति की गई। उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली–2021 नियम–27 (2) (क) के प्राविधानों के अन्तर्गत अन्यून 07 (सात) दिन की अल्पकालिक सूचना द्वारा 06 माह की अवधि हेतु पुनः दिनांक 22/06/2026 समय 10:00 बजे से दिनांक 30/06/2026 समय सायं 05:00 बजे तक निम्न क्षेत्र के लिए पोर्टल "etender.up.nic.in" पर ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

**क्षेत्र का विवरणः–**

| क्र0 सं0 | तहसील/ग्राम | गाटा संख्या/ खण्ड संख्या | क्षेत्रफल (हे0 में) | सीमायें | | जियो–कोआर्डिनेट्स | | उपखनिज का नाम/ डी0एस0आर0 एरिया कोड | नियमावली, 2026 के प्रथम अनुसूची के अनुसार रायल्टी दर (रु0 प्रति घ0मी0) | खनन योग्य निर्धारित / आंकलित उपखनिज की मात्रा (घ0मी0 में) | आधार मूल्य (रायल्टी दर X निर्धारित / आंकलित मात्रा | अर्नेस्ट मनी (आधार मूल्य का 25 प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | सदर/ कोर्राकनक एहतमाली I, II, III | 338, 339, 340, 341, 342, 343 मि0, 343 मि0, 344 | 1.4500 | उत्तर | 338, 339, 340, 341, 342, 343मि0, 343मि0, 344 की उत्तरी सीमा। | A | $25^0$ 44'3.8029"N<br>$80^0$ 34'28.4786"E | मोरम 2162620203 | 190 | 40600 | 7714000 | 1928500 |
| | | | | दक्षिण | 389, 337 | B | $25^0$ 44' 7.5508"N<br>$80^0$ 34'27.3583"E | | | | | |
| | | | | पूरब | 345 | C | $25^0$ 44' 7.1966"N<br>$80^0$ 34'23.0376"E | | | | | |
| | | | | पश्चिम | 336 | D | $25^0$ 44' 3.2812"N<br>$80^0$ 34'24.1975"E | | | | | |

ई–निविदा से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं शर्तों की जानकारी आनलाइन "etenders.up.nic.in" पोर्टल पर एवं किसी भी कार्यदिवस में समय 10.00 बजे से 5.00 बजे तक खनिज कार्यालय, फतेहपुर से प्राप्त की जा सकती है।

Digitally signed by Nidhi Gupta Vats
Date: 06-06-2026 20:5?
जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

# कार्यालय जिलधिकारी फतेहपुर

(खनन अनुभाग)

पत्रांक 945 / खनिज / टेण्डर / 2026-2027 दिनांक 06 / 06 / 2026

## ई-निविदा आमन्त्रण हेतु ई-निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद फतेहपुर के नदी तल स्थित निजी भूमि में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार बालू/मोरम के खनन क्षेत्र को शासनादेश संख्या-2036/86-2019-57 (सा0)/2017 दिनांक 30.08.2019 मे दिये गये निर्देशानुसार 06 माह की अवधि के लिये ई-टेण्डरिंग के माध्यम से खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने के निमित्त कार्यालय विज्ञप्ति सं0-579 दिनांक 02.04.2026 द्वारा निजी भूमि के एक खनन क्षेत्र को विज्ञापित किया गया था, जिसमें 07 निविदाएं प्राप्त हुईं, एक निविदाकार द्वारा मूल अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये, 05 निविदाकारों द्वारा ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया, मात्र एक निविदाकार के अभिलेख पूर्ण पाये गये। उक्त स्थिति के दृष्टिगत निविदा समिति द्वारा उक्त समस्त निविदाओं को अस्वीकार कर पुनः विज्ञापन किये जाने की संस्तुति की गई। उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली-2021 नियम-27 (2) (क) के प्राविधानों के अन्तर्गत अन्यून 07 (सात) दिन की अल्पकालिक सूचना द्वारा 06 माह की अवधि हेतु पुनः दिनांक 22/06/2026 समय 10:00 बजे से दिनांक 30/06/2026 समय सायं 05:00 बजे तक निम्न क्षेत्र के लिए पोर्टल "etender.up.nic.in" पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

### क्षेत्र का विवरणः-

| क्र0 सं0 | तहसील/ ग्राम | गाटा संख्या/ खण्ड संख्या | क्षेत्रफल (हे0 में) | सीमायें | | जियो-कोआर्डिनेट्स | | उपखनिज का नाम/ डी0एस0आर0 एरिया कोड | नियमावली, 2026 के प्रथम अनुसूची के अनुसार रायल्टी दर (रु0 प्रति घ0मी0) | खनन योग्य निर्धारित/ आंकलित उपखनिज की मात्रा (घ0मी0 में) | आधार मूल्य (रायल्टी दर X निर्धारित / आंकलित मात्रा | अर्नेस्ट मनी (आधार मूल्य का 25 प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | सदर/ कोर्राकनक एहतमाली I, II, III | 338, 339, 340, 341, 342, 343मि0, 343 मि0, 344 | 1.4500 | उत्तर | 338, 339, 340, 341, 342, 343मि0, 343मि0, 344 की उत्तरी सीमा। | A | 25$^0$ 44'3.8029"N | मोरम 216262020 3 | 190 | 40600 | 7714000 | 1928500 |
| | | | | | | | 80$^0$ 34'28.4786"E | | | | | |
| | | | | दक्षिण | 389, 337 | B | 25$^0$ 44' 7.5508"N | | | | | |
| | | | | | | | 80$^0$ 34'27.3583"E | | | | | |
| | | | | पूरब | 345 | C | 25$^0$ 44' 7.1966"N | | | | | |
| | | | | | | | 80$^0$ 34'23.0376"E | | | | | |
| | | | | पश्चिम | 336 | D | 25$^0$ 44' 3.2812"N | | | | | |
| | | | | | | | 80$^0$ 34'24.1975"E | | | | | |

2. परिहार की अवधि में मानसून सत्र (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) की अवधि सम्मिलित नहीं मानी जायेगी।
3. कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय नागरिक हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई-निविदा संलग्न प्रारूप-2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बाते होगी:-

क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो।

ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक।

ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मो0 नम्बर। (पता के प्रमाण स्वरूप व्यक्ति के लिए आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र तथा फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)

घ. क्या आवेदक भूस्वामी है। (हॉ/नहीं)

ड. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये उसने निविदा प्रस्तुत की है। जिसमें निम्न हो–

भूस्वामी का नाम–
उपखनिज का नाम–
तहसील का नाम–
खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम–
गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या–
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
विज्ञप्ति में दी गयी खनन योग्य अनुमानित खनिज की मात्रा–

च. ई–निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0 15,000/– के जमा का चालान।

छ. प्री–बिड अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट (जिसकी गणना क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा)।

ज. खनिज के प्रति घन मी0 के लिये दी जाने वाली ई–निविदा की दर–
(ई–निविदा की दर उस खनिज के लिये नियमावली–2026 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।)

झ. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाये, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र परन्तु जहॉ आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहां इस आशय का शपथ पत्र।

ट. भूस्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को उस जिले के जिलाधिकारी, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र।

ठ. भूस्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र या ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र के साथ बैंक प्रत्याभूति, जो ई–निविदा की धनराशि के 25 प्रतिशत से कम न हो।

4. बिन्दु संख्या–3 में उल्लिखित वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा।
5. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु–3 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा।
6. ई–निविदा आमंत्रण की तिथि के अन्दर ई–टेन्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड की जायेगी।
7. यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लि0 लखनऊ को प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ई–टेण्डरिंग लागू किये जाने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:–
(क) ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
(ख) ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा अपनी कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा।
(ग) विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स ई–निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।
8. निविदाकार द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के उपरान्त अपनी निविदा ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगी:–

I. सर्वप्रथम निविदाकार द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल पर लॉगिंग आई0डी0 (Login ID) एवं पासवर्ड (Password) द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल पर प्रवेश किया जायेगा।

II. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन (Verification) ई–टेण्डर पोर्टल पर किया जाना होगा।

III. निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेण्डर (Search Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रूचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Participate) करने हेतु क्लिक करना होगा।

IV. निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा संबंधित सभी जानकारी को सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर उसके प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।

V. निविदाकार द्वारा निविदा के समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा का ई–टेण्डर पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर–3 में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों की स्कैण्ड कापी कर पी0डी0एफ0 फाइल बनायी जानी होगी।

VI. ई–टेण्डर डॉक्यूमेंटस के आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजों की पी0डी0एफ0 फाइल तैयार हो जाने के पश्चात निविदाकार द्वारा ''पे ऑफ लाईन'' (Pay Offline) विकल्प पर क्लिक करने पर एग्रीमेन्ट (Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने पर निविदाकार द्वारा आई एग्री–सबमिट (I Agree Submit) पर क्लिक करना होगा।

VII. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा प्रि बिड अर्नेस्ट मनी से संबंधित कॉलम में जमा धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियॉ भरने के बाद उसको Save कर लिया जायेगा।

VIII. निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर क्लिक करना होगा जिससे कि प्रिबिड अर्नेस्ट मनी को टेण्डर के साथ जमा किये जाने से संबंधित कार्य पूर्ण माने जायेगें।

IX. यदि निविदाकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबमिट की गई तकनीकी एवं वित्तीय बिड में कोई त्रुटि है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गई निविदा/बिडस में संशोधन करना वांछनीय है, तो माई बिड्स (My Bids) आईकन में क्लिक कर पुनः पूर्व प्रक्रिया को अपनाते हुए ई–निविदा रि–बिड सबमिशन (Rebid Submission) पर क्लिक कर पुनः सबमिट (Submit) कर सकते है। निविदाकार द्वारा यह कार्य टेण्डर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बार प्रस्तुत की गई निविदा (Last Submit Bids) ही ई–टेण्डर पोर्टल पर अनुमन्य होगी। पूर्व में प्रस्तुत की गई बिड्स अनुमन्य नहीं होगी।

9. ई–टेण्डर साईट का उपयोग करने के लिए Pentium-IV अथवा उच्च विशिष्टियों युक्त कम्प्यूटर तथा ब्रॉड बैण्ड इण्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। कम्प्यूटर लाइनेक्स, विण्डोज एक्सपी सर्विस पैक–3 या उच्च आपरेटिंग सिस्टम एण्टीवायरस तथा इण्टरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 7.0 या अधिक, के साथ होनी चाहिए। इसके लिए इण्टरनेट केन्द्र की सेवायें ली जा सकती है।

10. जिला स्तर पर ई–टेंडरिंग से सम्बन्धित टेण्डर्स अपलोड किये जाने, टेण्डर्स खोले जाने इत्यादि कार्यों हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) से सहायता ली जा सकती है तथा अन्य किसी जानकारी/स्पष्टीकरण/प्रशिक्षण हेतु यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

11. भूस्वामी/भूस्वामियों द्वारा क्षेत्र की ई–निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर उच्चतम बोली को संज्ञान में लेकर 07 (सात) कार्यदिवस के भीतर सम्बन्धित खनन क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो प्रस्तुत करने का उसे/उन्हे एक अवसर प्राप्त होगा। ई–निविदा प्रक्रिया में भूस्वामी को भाग लेना आवश्यक नहीं है, परन्तु भूस्वामी/भूस्वामियों के पक्ष में खनन परिहार स्वीकृत होने की दशा में ई–निविदा के सम्बन्ध में बिन्दु–03 में दी गयी समस्त शर्तों को पूर्ण करना आवश्यक होगा।

12. विज्ञप्ति के अनुसार ई–निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि उपरान्त भूस्वामी के प्रथम इनकार हेतु निर्धारित अवधि 07 कार्यदिवस के पश्चात प्राप्त ई–निविदाओं को दिनांक 01/07/2026 को अपराहन 04:00 बजे अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की अध्यक्षता में गठित समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।
13. भूस्वामी द्वारा प्रथम इनकार के अधिकार का उपयोग नहीं करने पर उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में परिहार स्वीकृत किया जायेगा। उच्चतम बिड की धनराशि का 20 प्रतिशत (प्रत्येक घन मी0 हेतु) चयनित आवेदक द्वारा भू–स्वामी/स्वामियों को प्रतिकर के रूप में दिया जायेगा जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भू–स्वामी/स्वामियों को देय ऐसी धनराशि प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ भूस्वामी के बचत खाता जो कि अनुसूचित बैंक में हो, में किया जाना अनिवार्य होगा।
14. सफल निविदाकर्ता/भूस्वामी का चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा खनन परिहार हेतु सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
15. लेटर आफ इन्टेंट निर्गत होने के 03 कार्यदिवस में ई–निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत प्रतिभूति तथा 25 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में, जिसमें अर्नेस्ट मनी की धनराशि समायोजित की जायेगी। सफल निविदाकार अथवा भूस्वामी द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं करने पर जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचाार योग्य नहीं होगा। शेष 75 प्रतिशत धनराशि स्वीकृत परिहार अवधि के शेष अग्रिम माहों में समान प्रतिशत के रूप में परिहारधारक द्वारा भुगतान की जायेगी। यदि किसी अन्य प्रयोजन के लिए आावश्यक न हो तो प्रतिभूति धनराशि परिहार अवधि की समाप्ति उपरान्त एक माह के अन्दर परिहारधारक को वापस कर दी जायेगी।
16. जिलाधिकारी को कोई कारण बताए बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
17. खनन क्षेत्र अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।
18. सफल निविदाकार/भूस्वामी परिहार हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। सक्षम अधिकारी के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय खनन योग्य आंकलित मात्रा हेतु माइनिंग प्लान/स्कीम बनाते हुये आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।
19. यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में दी गयी खनिज निकासी की मात्रा क्षेत्र के लिये आंकलित खनन योग्य भण्डार से भिन्न होती है, तब पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अंकित मात्रा ही परिहार अवधि के लिए क्षेत्र से खनिज की निकासी हेतु अधिकतम मात्रा होगी तथा उस मात्रा के आधार पर ई–निविदा में दी गई दर को गुणा कर वास्तविक देय धनराशि की गणना की जायेगी।
20. पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात ही खनन कार्य प्रारम्भ होगा।
21. परिहारधारक द्वारा मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश तथा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 तथा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

अन्य नियम एवं शर्तेः–

1. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज बालू/मोरम की मात्रा व पुनः पूर्ति मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त उपखनिज बालू/मोरम की मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति की मात्रा अनुमन्य होगी।
2. चयनित पट्टाधारक उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–35 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
3. पट्टाधारक उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृष्यता रिकार्डिंग के योग्य चार पी0टी0जेड सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेंगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई–प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख–रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम–66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।

   पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई–एम0एम0–11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई–एम0एम0–11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली–2021 के नियम–60 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।
4. पट्टाधारक पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी स्थान पर 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नहीं करेगा।
5. जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
6. नदी की जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा एवं अन्य किसी भी माध्यम से खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
7. ई–निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व खनन संक्रिया की साध्यता के विषय में मौके का स्वयं निरीक्षण कर ई–निविदादाता अवश्य ही आश्वस्त हो लें। ई–निविदा में प्रतिभाग करने का स्पष्ट आशय है कि ई–निविदा हेतु विज्ञापन में दर्शित खनिज की मात्रा, खनन क्रिया की साध्यता, खनन स्थल तक पहुँच मार्ग की उपलब्धता आदि के विषय में विडर को कोई आपत्ति नहीं है।
8. स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
9. यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों, खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बतानें की युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
10. नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यदि कोई वाद अथवा आपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।
11. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारक को मान्य होगा।

12. सार्वजनिक सड़क, जलाशय, नहर, रेलवे/रेलवे लाईन, निवसित स्थल से 50 मीटर तथा नदी पर बने पुल से न्यूनतम 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
13. स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर अन्य शर्तें जो जिलाधिकारी, फतेहपुर एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 द्वारा उचित समझी जायेगी उसे लागू किया जायेगा, जो पट्टाधारक को मान्य होगी।
14. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 05.09.2018 के अनुपालन में पट्टाधारक द्वारा खदान के निकास स्थल पर तौल मशीन लगवा कर खनिज निदेशालय में स्थापित कमाण्ड सेन्टर में प्रयुक्त आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स युक्त साफ्टवेयर में इंटीग्रेट किया जायेगा। इन्टीग्रेट्स में स्थित तौल मशीन में निम्न Features का होना आवश्यक है :–

(1) The Weight Bridge device should use the MQTT protocol transmit data.

(2) The Weight Bridge device should transmit data over the internet to IOT infrastructure in cloud.

यदि कोई भी निविदाकार भविष्य मे सक्षम स्तर की तकनीकी जॉच/Cyber Expert की जॉच मे निविदा प्रक्रिया में Fraud एवं Cartelization तथा Fair bidding process को प्रभावित करने के सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार से दोष–सिद्ध पाया जायेगा, तो आशय पत्र निर्गत होने के उपरान्त, आशय पत्र धारक द्वारा जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष मे समपहृत करते हुये वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, इस सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार नही होगा।

जिलाधिकारी
फतेहपुर।

**प्रतिलिपि**–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति का प्रकाशन कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में कराने का कष्ट करें।
5. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।
6. प्रबन्ध निदेशक यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
7. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद फतेहपुर को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
8. सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, फतेहपुर को etender.up.nic.in पर अपलोड कराने एवं निर्धारित तिथि को टेण्डर खोले जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. जिला सूचना अधिकारी, फतेहपुर को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
10. अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, बिन्दकी फतेहपुर।
11. अध्यक्ष जिला पंचायत, खागा/किशनुपर/बहुआ/कोड़ा जहानाबाद/हथगॉम/ असोथर/कारीकान धाता/खखरेरू।
12. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, फतेहपुर को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।

Digitally signed by
Nidhi Gupta Vats
Date: [illegible]2026
20:[illegible]

जिलाधिकारी
फतेहपुर।

प्रारूप–2

## खनन परिहार हेतु ई–निविदा प्रपत्र

**महत्वपूर्ण**–किसी प्रकार के कटिंग/ओवरराइटिंग पर ई–निविदा निरस्त की जा सकती है।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | विज्ञप्ति संख्या व दिनॉक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो | |
| 2. | विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक | |
| 3. | जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण<br>क–भू स्वामी का नाम<br>ख–उपखनिज का नाम<br>ग–जनपद का नाम<br>घ–तहसील का नाम<br>ड़.–खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम–<br>च–गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या–<br>छ–क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)–<br>ज–विज्ञप्ति में दी गयी खनन योग्य अनुमानित उपखनिज की मात्रा | |
| 4. | विज्ञाप्ति में परिहार की अवधि | |
| 5. | क्या निविदाकार भूस्वामी है (हॉ/नही) | |
| 6. | निविदाकार का नाम | |
| 7. | निविदाकार के पिता का नाम<br>(यदि लागू हो) | |
| 8. | स्थायी पता | |
| 9. | पत्राचार का पता | |
| 10. | मोबाईल नम्बर | |
| 11. | ई–मेल आई0डी0 | |
| 12. | पता का प्रमाण पत्र का नम्बर<br>(पता का प्रमाण स्वरूप व्यक्ति के लिए आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र तथा फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण) | **पहचान पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।** |
| 13. | जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र परन्तु जहां आवेदक प्रदेश मे पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहां इस आशय का शपथ पत्र | **प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी** |
| 14. | जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र | **चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।** |

| | | |
|---|---|---|
| 14ए | भूस्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र या ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र के साथ बैंक प्रत्याभूति, जो निविदा की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो। | |
| 15. | प्री–बिड अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट (जिसकी गणना क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा) | ड्राफ्ट धनराशि................................<br>बैंक का नाम व शाखा ...............<br>ड्राफ्ट का नम्बर ...........................<br>ड्राफ्ट का दिनांक ........................<br>बैंक ड्राफ्ट की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। |
| 16. | खनिज के प्रति घन मी0 के लिए दी जाने वाली ई–निविदा की दर– (ई–निविदा की दर उस खनिज के लिए नियमावली–2021 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नही होगी।) | रु0–............. प्रतिघ0मी0 (अंकों में)<br>रु0–............. प्रतिघ0मी0 (शब्दों में) |

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी मे सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नही गयी है तथा मैं ई–निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

दिनांक :–

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम......................................

पदनाम................................

Signature Not Verified

Digitally signed by SOMENDRA KUMAR TIWARI
Date: 2026.06.22 10:12:22 IST
Location: Uttar Pradesh-UP